पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2006 का आपराधिक अपील (खंड.पीठ) सं.158

==========

1. कृष्ण झा, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत झा के पुत्र।
2. कृष्ण चंद्र झा, सर केदार झा के पुत्र।
3. भोगेंद्र मिश्रा @व्यास मिश्रा, देव कांत मिश्रा के पुत्र।
4. बंशीधर झा, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत झा के पुत्र,

सभी ग्राम- फेंट, थाना- बासोपट्टी, जिला- मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

साथ में

2006 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 274

==========

शिव नाथ झा, दिनेश झा के पुत्र, ग्राम फेंट के निवासी, पुलिस स्टेशन-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2006 का आपराधिक अपील (खंड पीठ.) सं. 717

==========

शशिनाथ झा, स्वर्गीय सुरेश झा के पुत्र, गाँव-फेंट, थाना-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 273

थाना कांड सं.-3 वर्ष-2002 थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबानी से उत्पन्न

==========

मीना देवी उर्फ मीना कुमारी, श्री शिवनाथ झा की पत्नी, गाँव-फेंट, थाना-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी की निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 426

थाना कांड सं-3 वर्ष-2002 थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबानी से उत्पन्न

==========

संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा, स्वर्गीय दुखमोहन झा के पुत्र, गाँव-फेंट, थाना बासोपट्टी, जिला-मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

अधिनियम/धारा/नियमः

भारतीय दंड संहिता (भा दं सं)-धारा 147,148,149,447,342,323,324,307,354,379,302 और 504।

अपील-आई. पी. सी. की धारा 323,342,302,149,147,148, 302/149, 354 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ मुखबिर ने प्राथमिकी दर्ज की जिसमें उसने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-आरोपी पिस्तौल और लाठियों से लैस होकर उसके स्थान पर आया था। मुखबिर और उसके माता-पिता पर हमला किया गया। इसके अलावा, मुखबिर की मां के साथ दुर्व्यवहार किया गया और सोने की चेन छीन ली गई। कियोस्क/मुखबिर की दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और लूटपाट की गई। ग्रामीणों के समय पर हस्तक्षेप ने मुखबिर और उसके माता-पिता की जान बचाई। मुखबिर के इलाज के दौरान, एक सप्ताह से अधिक समय के बाद चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।

आयोजित-चिकित्सा साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक पर कथित रूप से बेरहमी से हमला नहीं किया गया था-मृतक और उसके रिश्तेदारों को लगी प्रारंभिक चोटें

सरल प्रकृति की थीं, जो दर्शाती हैं कि हमला हत्या के उद्देश्य या ज्ञान के साथ नहीं किया गया था-गवाहों द्वारा साक्ष्य से पता चलता है कि आरोपी और मृतक दोनों के बीच संपत्ति विवाद था, और घटना पल भर में घटित हुई थी-जांचकर्ता ने पाया कि आरोपी पक्ष के दो व्यक्ति भी घायल पाए गए थे और मृतक की दुकान में तोड़फोड़ नहीं की गई थी-कम्पाउंडर जिसने मृतक को मृत घोषित कर दिया था, उसकी जांच नहीं की गई है-आरोपी द्वारा दो व्यक्तियों की चोट के बाद भी कोई प्रति प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी। अभियुक्त इंगित करते हैं कि शायद विवाद को निपटाने का प्रयास किया गया होगा, और इस आशंका की कमी कि मृतक चोटों के कारण दम तोड़ देगा-आयोजित-यह बिल्कुल आकस्मिक था कि मृतक की मृत्यु हो गई, इसलिए आई. पी. सी. की धारा 302/149 के तहत दोषसिद्धि अनुचित है। यह अपीलार्थी द्वारा सिर पर एक भाला की चोट थी जो अंततः बिगड़ गई और घातक साबित हुई। हालाँकि, अपीलार्थी का कोई इरादा या ज्ञान नहीं था कि उसके द्वारा किया गया हमला, प्रकृति के सामान्य क्रम में, मृत्यु का कारण बन सकता है। इसलिए भा.दं.सं की धारा 304 के तहत कोई मामला नहीं बनता है। सबसे अच्छा, अपीलार्थी को भा.दं.सं की धारा 326 के तहत दंडित किया जा सकता है-दो अपीलार्थी जिन्होंने झगड़े में भाग लिया था, वे भा.दं.सं की धारा 323 के तहत अपराध के दोषी हैं-अभिलेख पर कुछ भी नहीं दिखाता है कि अन्य अपीलार्थी घटना के स्थान पर मौजूद थे और उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था, इसलिए भा.दं.सं की धारा 147 और 148 के तहत उनकी दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2006 का आपराधिक अपील (खंड.पीठ) सं.158

==========

1. कृष्ण झा, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत झा के पुत्र।
2. कृष्ण चंद्र झा, सर केदार झा के पुत्र।
3. भोगेंद्र मिश्रा @व्यास मिश्रा, देव कांत मिश्रा के पुत्र।
4. बंशीधर झा, स्वर्गीय लक्ष्मीकांत झा के पुत्र,

सभी ग्राम फेंट, थाना बासोपट्टी, जिला-मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थी

==========

साथ में

2006 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 274

==========

शिव नाथ झा, दिनेश झा के पुत्र, ग्राम फेंट के निवासी, पुलिस स्टेशन-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2006 का आपराधिक अपील (खंड पीठ.) सं. 717

==========

शशिनाथ झा, स्वर्गीय सुरेश झा के पुत्र, गाँव-फेंट, थाना-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 273

थाना कांड सं.-3 वर्ष-2002 थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबानी से उत्पन्न

==========

मीना देवी उर्फ मीना कुमारी, श्री शिवनाथ झा की पत्नी, गाँव-फेंट, थाना-बासोपट्टी, जिला-मधुबानी की निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

साथ में

2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 426

थाना कांड सं-3 वर्ष-2002 थाना-बासोपट्टी जिला-मधुबानी से उत्पन्न

==========

संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा, स्वर्गीय दुखमोहन झा के पुत्र, गाँव-फेंट, थाना बासोपट्टी, जिला-मधुबानी के निवासी।

.....अपीलकर्ता

बनाम

बिहार राज्य

.....प्रत्यार्थी

==========

उपस्थिति:

(2006 के आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 158 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री बिंध्याचल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री विपिन कुमार सिंह, अधिवक्ता

सुश्री निकिता मित्तल, अधिवक्ता

श्री जन्मेजय गिरिधर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजन

सूचना देने वाली के लिए: श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता

श्री प्रांजल सिंह, अधिवक्ता

(2006 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) संख्या 274)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजन

सूचना देने वाली के लिए: श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता

श्री प्रांजल सिंह, अधिवक्ता

(2016 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 717)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजन

सूचना देने वाली के लिए: श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता

श्री प्रांजल सिंह, अधिवक्ता

(2016 का आपराधिक आवेदन (खंड पीठ) संख्या 273)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजन

सूचना देने वाली के लिए: श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता

श्री प्रांजल सिंह, अधिवक्ता

(2016 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) संख्या 426)

अपीलार्थी/ओं के लिए: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

सुश्री सूर्य नीलांबरी, अधिवक्ता

श्री बिमल कुमार, अधिवक्ता

श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता

श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/ओं के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, सहायक लोक अभियोजन

सूचना देने वाली के लिए: श्री अनुराग तिवारी, अधिवक्ता

श्री प्रांजल सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथी: 29.02.2024

एक ही प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली सभी अपील लेकिन दो परीक्षण।

2. हमने अपीलार्थियों/कृष्ण झा, कृष्ण चंद्र झा, भोगेंद्र मिश्रा उर्फ व्यास मिश्रा और बंशीधर झा के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बिंध्याचल सिंह को आपराधिक अपील (खंड पीठ) 2006 का सं. 158 में सुना है और श्री अजय कुमार ठाकुर, सुश्री. सूर्य नीलांबरी, के सहयोग से अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता/शिव नाथ झा, शशिनाथ झा, मीना देवी उर्फ मीना कुमारी और संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा। आप. अपील (खंड पीठ) सं. 2006 का 274, 2006 का 717,2016 का 273 और 2016 की 426।

3. अपीलार्थी/कृष्ण चंद्र झा, भोगेंद्र मिश्रा, बंशीधर झा, शिव नाथ झा और शशिनाथ झा पर 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 319 में मुकदमा चलाया गया है, जबकि अपीलार्थी संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा और मीना कुमारी पर 2006 के सत्र परीक्षण संख्या 429 में मुकदमा चलाया गया है।

4. 2022 के सत्र परीक्षण संख्या 319 में, अभियोजन पक्ष की ओर से सात और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। जबकि 2006 के सत्र विचारण संख्या 429 में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों से पूछताछ की गई है।

5. साक्षा कमोवेश दोनों परीक्षण में सामान है 2006 के सत्र परीक्षण संख्या 429 में बचाव पक्ष की ओर से दो विभिन्न गवाहों से पूछताछ की गई है।

6. साक्ष्य दोनों सत्र परीक्षण में कमेवेश समान है। इसलिए, इन सभी अपीलों का इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया जा रहा है।

7. हमने श्री अनुराग तिवारी सूचना देने वाले के विद्वान अधिवक्ता, को भी सुना है जो ऑनलाइन पेश हुए हैं और सुश्री शशि बाला वर्मा, राज्य के लिए विद्वान स.ले.अभि.।

8. अपीलार्थी/शिव नाथ झा, शशिनाथ झा, कृष्ण झा, कृष्ण चंद्र झा, भोगेंद्र मिश्रा और बंशीधर झा को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 323,342,302 के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि अपीलकर्ता/बंशीधर झा, कृष्ण चंद्र झा, भोगेंद्र मिश्रा और शशिनाथ झा को भी भा.द.वि. की धारा 147 के तहत दोषी ठहराया गया है और अपीलकर्ता/शिव नाथ झा और कृष्ण झा को भी भा.द.वि. की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी-V, मधुबानी ने 2002 के बासोपट्टी थाना मामले संख्या 3 (2002 का जी. आर. संख्या 61) से उत्पन्न 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 319 में कहा। दिनांक 19.01.2006 के आदेश द्वारा, दोषी ठहराया गया है, उन्हें

भा.द.वि. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराधों के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

9. अपीलार्थी/संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149,147,323,354 के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि अपीलार्थी/मीना कुमारी को भा.द.वि. की धारा 147,302/149,323 और 379 के तहत दोषी ठहराया, बेसपट्टी थाना कांड सं.2002 का 03 (जी.आर.सं. 2002 का 161) से उत्पन्न सत्र परीक्षण सं. 2006 का 429 में विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-VI, मधुवनी द्वारा दिनांक 17.03.2016 को पारित निर्णय के तहत दिनांक 18.03.2016 के आदेश द्वारा अपीलार्थी/संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा को आजीवन कारावास, 50,000/- रु. का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई ओर जुर्माना न अदा करने पर छः महीने की अतिरिक्त साधारण् कारावास भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत प्रत्येक को एक वर्ष का साधारण कारावास भा.दं.सं. की धारा 147, 379 के तहत और भा.दं.सं की धारा 323 के तहत छः महीने की साधारण कारावास।

10. सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

11. बिक्रम कुमार झा उर्फ आशुतोष बिक्रम झा इस मामले के मृतक हैं, जिन्होंने 10:30 बजे 13.01.2002 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बासोपट्टी में प्राथमिकी दर्ज की थी। पूर्वनिर्दिष्ट प्राथमिकी में, उन्होंने आरोप लगाया था कि लगभग 07:30-8:00 बजे उसी दिन सुबह, अपीलार्थी/संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा अपने सहयोगियों के साथ, विभिन्न हथियारों से लैस, उनके घर पर आए। अपीलार्थी/शिव नाथ झा के हाथ में भाला था जबकि अपीलार्थी/कृष्ण झा के हाथ में पिस्तौल थी। बाकी अन्य सभी अपीलार्थी लाठियों से लैस थे। संतोष झा उर्फ शंकर झा ने उसे घसीटा और जमीन पर फेंक दिया और उस पर मुट्ठी और थप्पड़ से हमला भी किया। ऐसा करते हुए, उसने अपने अन्य सहयोगियों को भी उस पर हमला करने के लिए उकसाया। इस तरह के उकसावे पर, अन्य अपीलकर्ताओं ने भी बिक्रम कुमार झा उर्फ आशुतोष बिक्रम झा (मृतक) पर हमला करना शुरू कर दिया। जब उसने

भागने की कोशिश की, तो संतोष झा उर्फ शंकर झा ने उसे बंदी बना लिया। यह सब देखकर बिक्रम कुमार झा उर्फ आशुतोष विक्रम झा के माता-पिता उनके बचाव में आए, जिनकी अभि.ग. 2 और 3 के रूप में जांच की गई है 2002 के एस. टी. सं. 319 में 2002 के एस. टी. सं. 429 में अभि.ग. 1 और 3। अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला भी किया। अपीलार्थी/मीना देवी, अपीलार्थी/शिव नाथ झा की पत्नी ने मृतक की माँ पर हमला किया और उसने उनकी सोने की चेन भी छीन ली जो उसने पहनी हुई थी। जब मृतक की माँ ने आगे संतोष झा @शंकर झा के साथ बहस करने की कोशिश की, तो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके बालों से खींचा गया, जिसके परिणामस्वरूप वह आंशिक रूप से वस्त्रहीनावस्था की स्थिति में चली गई। यह वह समय था जब मृतक अपनी माँ को बचाने के लिए उठा, जब अपीलकर्ता/संतोष झा @शंकर झा ने शिव नाथ झा से उस पर हमला करने के लिए कहा। उनके आदेश का पालन करते हुए, शिव नाथ झा ने मृतक के सिर पर भाला मारा जिससे वह घायल हो गया और वह जमीन पर गिर गया। मृतक के कियोस्क/दुकान में भी तोड़फोड़ की गई और रु. 2000/- जो कैश बॉक्स में रखा गया था उसे ले लिया गया। बदमाश दुकान में मौजूद अन्य सामान भी ले गए। ग्रामीणों के समय पर पहुंचने पर मृतक की जान अस्थायी रूप से बचाई जा सकी। हालाँकि, जब मृतक और उसके माता-पिता इलाज के लिए बासोपट्टी अस्पताल जाने वाले थे, संतोष झा उर्फ शंकर झा, शिव नाथ झा और शशि नाथ झा मोटरसाइकिल पर आए। उन्हें अस्पताल जाने से रोक दिया। इसने कई ग्रामीणों को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों के इस तरह के उग्र व्यवहार का विरोध किया। ग्रामीणों के गुस्सैल समूह को देखकर कहा जाता है कि अपीलार्थी भाग गए हैं। घायल लोग अस्पताल आए, जहां प्राथमिकी दर्ज होने के समय इलाज चल रहा था। इस घटना को किशोरी साह, भोगी साह और ग्राम के कई अन्य लोगों ने देखा। घटना का कारण और उसके हमले के पीछे का मकसद संतोष झा उर्फ शंकर झा का उस क्षेत्र से अपनी दुकान को हटाने का आग्रह था जिसका हमेशा मृतक द्वारा विरोध किया जाता था।

12. पूर्व उल्लिखित कथन के आधार पर मृतक बासोपट्टी थाना का बयान 2002 का कांड संख्या 3 दिनांक 03.01.2002 भा.दं.सं की धारा 147,148,149,447,342,323,324,307,354,379 और 504 के तहत अपराधों की जांच के लिए दर्ज किया गया था। बाद में मृतक की मृत्यु के साथ भा.दं.सं की धारा 307 जोड़ी गई।

13. हालाँकि यह ध्यान दिया जा सकता है कि बिक्रम कुमार झा उर्फ आशुतोष बिक्रम झा की 14.01.2002 को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई और 15.01.2002 को उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया।

14. मृतक का सबसे पहले इलाज डॉ. बद्री नारायण ठाकुर (अभि.ग. 6), जिन्होंने निचली अदालत के समक्ष कहा है कि 09:15 बजे पूर्वाहन को मृतक की जाँच करते हुएः 13.01.2002 को, उन्होंने उसके सिर के दाहिने हिस्से में सामने वाले हिस्से में 1⁄2 "x 1⁄2" मांसपेशियों के गहरे आयाम के साथ एक तेज घाव पाया था। घाव के पास सूजन और लालिमा थी। उन्होंने सिर का एक्स-रे कराने की सलाह दी थी। इसके अलावा, मृतक के शरीर पर तीन अन्य चोटें पाई गईं, लेकिन सभी चोटों और खरोंच की प्रकृति की थीं। एक चोट दाएँ स्कंधास्थि क्षेत्र में पाई गई जबकि दूसरी छाती के दाएँ हिस्से में थी। दाहिने घुटने पर भी खरोंच थी। मृतक ने केवल शरीर में दर्द की शिकायत की थी।

15. अभि.सा. 6 के अनुसार, धारदार घाव एक तेज हथियार से हुआ होगा और अन्य सभी घाव कठोर और कुंद पदार्थ से हुए होंगे। विशेष रूप से पूछे जाने पर, अभि.ग. 6 ने जवाब दिया कि तेज घाव भाला के कारण हुआ हो सकता है। उसी दिन लगभग 09.25 बजे पूर्वाहन बजे उन्होंने मृतक के माता-पिता और भाई की जांच की और उनके शरीर पर साधारण घाव पाए। माता-पिता और मृतक के भाई के शरीर पर चोटों के बारे में, पीडब्लू 6 ने देखा था कि वे बिल्कुल सतही थीं और यहां तक कि मांसपेशियों की गहरी चोटें भी कठोर सतह पर गिरने के कारण हो सकती हैं।

16. क्या ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभि.ग. 6 का बयान, जिसने पहले मृतक का इलाज किया था, कि 13.01.2002 को मृतक की स्थिति बिल्कुल भी असामान्य नहीं थी। सटीक रूप से इस कारण से, उन्हें केवल प्राथमिक उपचार दिया गया था। बासोपट्टी के पीएचसी में मौजूद किसी अन्य डॉक्टर अर्थात विजय कुमार चौधरी (अभि.ग. 5) से परामर्श करने की उन्हें कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। बाद में, डॉ. विजय कुमार चौधरी (अभि.ग. 5) ने मृतक की हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल, मधुबानी रेफर कर दिया। हालाँकि उनके द्वारा कोई दवा निर्धारित नहीं की गई थी, जबकि मृतक बासोपट्टी, पीएचसी में रहे। हालांकि, उन्होंने बसोपट्टी से मधुबानी अस्पताल तक की यात्रा के लिए मृतक को जीवन रक्षक दवाएं लिखवाई थीं। उन दवाओं के विवरण का उल्लेख उनके रेफरल नोट में नहीं किया गया था। आम तौर पर, इस तरह का रेफरल अभि.ग. 6 द्वारा किया गया होगा क्योंकि वह वरिष्ठ डॉक्टर थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में, संदर्भ केवल अभि.ग. 5 द्वारा किया गया था। अभि.ग. 6 को बाद में पता चला कि जब मृतक की हालत असामान्य हो गई थी, तो अभि.ग. 5 द्वारा उसकी जांच की गई और उसके बाद उसे मधुबानी अस्पताल भेजा गया।

17. ऐसा लगता है कि मृतक की मौत 14.01.2002 की दोपहर में किसी समय हो गई है।

18. डॉ. सज्जन कुमार मिश्रा (पीडब्लू 4) द्वारा 09.00 बजे पूर्वाह्न में 15.01.2002 को डॉ. सज्जन कुमार मिश्रा अभि.ग. 4 द्वारा शव परीक्षा की गई थी।
जैसा कि अपेक्षित था, उनके दाहिने सामने की खोपड़ी पर 2" का एक सिलवाया हुआ घाव पाया गया। स्कंधास्थि क्षेत्र, बाएं अग्रभाग और घुटनों पर चोटों को भी अभि.ग. 4 द्वारा पहचाना गया था। टांके को हटाने के बाद उन्होंने पाया कि घाव हड्डी तक गहरा था। दाहिनी ओर सामने की हड्डी टूट गई थी। मस्तिष्क के अंदर मस्तिकावरक झिलिया पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गए थे और उनमें रक्त और रक्त के थक्के थे। पेट खाली था। मृत्यु के लिए निर्धारित समय शव परीक्षण से 24 घंटे पहले था।

19. उनकी राय में, मृत्यु के कारण दाहिने सामने की खोपड़ी पर पहले घाव के परिणामस्वरूप रक्तस्राव और सदमा जो कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हुआ प्रतीत होता है।

20. उपर उल्लिखित तीनों चिकित्सकें साक्ष्य का अवलोकन दर्शाते हैं कि मृतक पर क्रूरता से हमला नहीं किया गया था जैसा कि आरोप लगाया गया है।

21. मृतक ने आरोप लगाए कि उनेक लोगों ने उसकी और उसके माता-पिता और भाई पर हमला किया। मृतक के माता-पिता और भाई के पास उन्हें केवल साधारण चोटें आईं। यहां तक कि मृतक के सिर पर लगी चोटें भी सरल प्रकृति की पाई गईं और इसलिए, अभि.ग. 6 ने केवल प्राथमिक उपचार दिया था। अत्यधिक रक्तस्राव नहीं होता अन्यथा रक्त चढ़ाया जाता और अभि.ग. 6 द्वारा ही उच्च अस्पताल में भेजा जाता। किसी न किसी कारण से मृतक की स्थिति बिगड़ती गई, जिसके लिए उसे डॉ. विजय कुमार चौधरी (अभि.ग. 5) के कहने पर मधुबानी अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता पड़ी।

22. यह दर्शाता है कि हमला नहीं हुआ था मृतक को मारने के उद्देश्य से या यहाँ तक कि इस ज्ञान के साथ कि ऐसी चोट अंततः उसे मार देगी। पोस्टमॉर्टम के दौरान, सिर पर चोट, जिसे अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/शिव नाथ झा के एक भाला के कारण होने का कारण बताता है, जिसे वह अपने हाथ में ले जा रहा था, भी पोस्टमॉर्टम परीक्षा करते समय अभि.ग. 4 के निष्कर्षों के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। यह चोट किसी कठोर और कुंद पदार्थ से थी। हालाँकि, घाव हड्डी तक गहरा था और खोपड़ी को कुचलने और मस्तिष्क विरण को चीरने का प्रभाव था। यह आगे दर्शाता है कि शायद भाला का उपयोग तेज/नुकीले हिस्से के साथ नहीं किया गया था, बल्कि कुंद हिस्से के माध्यम से किया गया था।

23. यह सब, अपीलार्थियो के विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है, यह दर्शाता है कि वास्तव में क्या हुआ था। उनके प्रस्ताव के अनुसार, जब मृतक ने बयान दिया तो वह सच नहीं बोल रहा था। हमले की घटना का कारण, जैसा कि मृतक ने अपने फरदबेयान में बताया था, संतोष झा उर्फ शंकर झा का उस जगह से अपनी दुकान को हटाने का आग्रह था

जहां इसे खड़ा किया गया था। यह दुकान शायद गैर माज़ारुआ जमीन पर थी। यह तर्क दिया गया है कि मुकदमे के दौरान, गवाहों के मुंह से प्राप्त साक्ष्य से पता चला है कि विवाद किसी और चीज के लिए था और घटना उस समय की गति में थी। अन्वेषक (अभि.ग. 7) स्पष्ट रूप ग्राम कहा गया है कि मृतक का फरदबेयान दर्ज करने के बाद, वह गाँव में घटनास्थल के पास गया था और पाया था कि मृतक की दुकान एक छोर पर स्थित थी जबकि दूसरे छोर पर एक नए मंदिर का निर्माण किया गया था। मृतक की दुकान के पास कहीं एक पुराना मंदिर था जिसका निर्माण शायद मृतक के परिवार ने किया था। दोनों मंदिरों के बीच में एक सार्वजनिक सड़क थी और सड़क के पार मृतक और अपीलार्थी/शिव नाथ झा की कृषि भूमि थी। ग्राम के निरीक्षण के समय जांचकर्ता के निष्कर्षों ने उन्हें समझाया कि शायद नए मंदिर के लिए एक भंडार कक्ष के निर्माण के लिए, जिसका निर्माण शिव नाथ झा के कहने पर किया गया था, एक आम भूमि को कुर्सी/चबूतरे के निर्माण के लिए खोदा जा रहा था, जिसके ऊपर संरचना खड़ी की जा सकती थी। इस संबंध में विवाद हुआ था और दोनों पक्षों के बीच हमला हुआ था।

24. अभियुक्त के पक्ष के दो व्यक्ति घायल पाए गए अर्थात शिव नाथ झा और शशि नाथ झा। जाँचकर्ता द्वारा उनकी चोटों का विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने उन्हें उनके शरीर पर घावों के साथ देखा था। उन्होंने यह भी पाया था कि मृतक की दुकान में कोई तोड़फोड़ नहीं की गई थी। वास्तव में, इसे छुआ नहीं गया था।

25. अतः तर्क यह है कि मृतक द्वारा स्वयं अपने फ़र्दबेयान में प्रस्तुत किया गया मकसद और कारण कि उसे अपना कियोस्क हटाने के लिए जोर दिया जा रहा था, पूरी तरह से गलत पाया गया। विवाद मूल रूप से शिव नाथ झा द्वारा बनाए गए नए मंदिर के लिए एक भंडार कक्ष के निर्माण को लेकर था। शिवनाथ झा या मृतक की किसी की भी जमीन को बाधित नहीं किया जा रहा था। ग्राम की सड़क के बीच में ही इस तरह का निर्माण किया जाना था।

26. क्या यह दोनों लोगों के समूह के बीच प्रतिद्वंद्विता थी जिन्होंने दो मंदिरों का निर्माण किया था जिसके कारण हमला हुआ था?

27. इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मृतक या उसके परिवार के अनन्य कब्जे में भूमि के किसी भी हिस्से पर कोई दावा; यहां तक कि वह भूमि भी नहीं जिस पर मृतक का कियोस्क/दुकान स्थित थी।

28. विद्वान अधिवक्ताओं ने तर्क दिया है कि तब कहाँ थे जब, किसी के लिए भी मृतक की दुकान को हटाने के लिए जोर देने का अवसर है।

29. इस संदर्भ में हमने जांच भी की है। मृतक के परिवार के सदस्यों का बयान। सत्र परीक्षण सं. 319/2002 में मृतक के छोटे भाई (अभि.ग. 1) ने हालांकि अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया लेकिन घटनाओं के क्रम के संबंध में कुछ अलग बयान दिया। उन्होंने मृतक की भाला चोट के लिए शिव नाथ झा को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद शशि नाथ झा ने मृतक के सिर पर लाठी से हमला किया। उसने यह भी आरोप लगाया है कि दुकान में रखी नकदी और अन्य सामान ले जाया गया था।

30. पीड़ितों के संबंध में अस्पताल जाने से रोके जाने पर अभि.ग. 1 ने वही कहानी दोहराई। उन्होंने इस तथ्य की गवाही दी है कि उनके भाई (मृतक) की हालत 13.01.2002 की शाम को बिगड़ने लगी थी। अगले दिन, मधुबानी के एक डॉक्टर की सलाह पर, मृतक को मारुति वाहन से मधुबानी के एक अस्पताल ले जाया गया। कलुआही के पास रास्ते में हालत और बिगड़ गई। इसके बाद, मृतक को डॉ. गोविंद झा के पास ले जाया गया, जहाँ कम्पाउंडर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

31. ये तथ्य इसका अभियोजन मामला का हिस्सा नहीं हैं।

32. अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, मृतक की मौत मधुबानी अस्पताल में हुई। इस बात का संकेत देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मृतक को मधुबानी अस्पताल लाया गया था जब वह पहले ही मर चुका था। कम्पाउंडर, जिसने मृतक घोषित

किया था, उसकी भी जांच नहीं की गई है। इसके बाद शव को घर वापस ले जाया गया जहां पुलिस दल पहुंचा था और मां मृतक की मॉ अर्थात गायत्री देवी (अभि.ग.-2) का व्यान दर्ज किया था। गायत्री देवी (अभि.ग. 2) के उस बयान पर अभि.ग. 1 ने भी हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष पुष्टि की है कि मृतक की दुकान सरकारी जमीन पर थी। उसे पता नहीं था कि यह एक लाइसेंस प्राप्त दुकान थी या नहीं। दुकान पिछले तीन साल से उस जगह पर खड़ी थी। पास में दो मंदिर थे और पुराने मंदिर से लगभग 5-7 गज की दूरी पर एक ईंट की सड़क थी। अभि.ग. 1 ने लेकिन नए मंदिर के लिए एक भंडार कक्ष के आधार के निर्माण के लिए हुए विवाद के बारे में किसी भी सुझाव से इनकार किया है।

33. हमले के तरीके के संबंध में इसके अलावा, पी. डब्ल्यू. 1, भले ही एक चश्मदीद गवाह होने का दावा किया गया हो, ट्रायल कोर्ट के समक्ष बहुत विशिष्ट नहीं था।

34. मृतक की माँ (अभि.ग. 2) ने भी वही कहानी दोहराई है और इस तथ्य की गवाही दी है कि मृतक को डॉ. गोविंद झा के क्लीनिक में ले जाया गया था, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि नया मंदिर के पास कोई जमीन खोदी जा रही थी। जो वास्तव में ग्रामीणों के दो समूहों के बीच विवाद की जड़ था। जब शिव नाथ झा ने मृतक पर हमला किया तो वह बहुत गंभीर नहीं था क्योंकि अभि.ग. 2 को पता नहीं था कि मृतक को खारा पानी दिया गया था या कोई दवा दी गई थी।

35. हालांकि, प्रतिपरीक्षा में, उसने स्पष्ट किया है कि जब मृतक को भाला से मारा गया था, तो वह उसे छेद नहीं किया था। यह केवल उनके सिर पर सतही रूप से मारा गया था। मृतक के पिता/जटा शंकर झा (अभि.ग. 3) द्वारा भी इसी तरह के बयान दिए गए हैं। यह एक अजीब संयोग था कि घटना के समय, वह गाँव में मौजूद था, हालांकि गवाहों ने कहा है कि वह अपनी आजीविका कमाने के लिए हमेशा गाँव से बाहर रहता था।

36. गवाहों, के व्यान पढने पर अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन में कुछ बल प्रतीत होता है कि हमले का उद्देश्य मृतक को अपनी दुकान को उस स्थान से हटाने के लिए मजबूर करना नहीं था जहाँ इसे खड़ा किया गया था। यह दुकान पिछले तीन वर्षों से वहाँ मौजूद थी और सार्वजनिक भूमि पर इसे बनाए जाने के बारे में पहले कोई शिकायत नहीं थी। गाँव वालों में से किसी के भी सुविधा अधिकारों को बाधित नहीं किया जा रहा था। यह दोनों मंदिरों के बीच के मार्ग में भी बाधा नहीं थी।

37. 13.01.2002 दलों को आपस में लड़ने के लिए प्रज्वलन विन्दु क्या था।

38. आई. ओ. का उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष कि विवाद तब उत्पन्न हुआ जब नींव के निर्माण के लिए भूमि खोदी जा रही थी, इसलिए यह एकमात्र कारण प्रतीत होता है जिसने मृतक और उसके परिवार के सदस्यों को उत्तेजित किया था।

39. उनके क्रोधित होने का कारण भी स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है क्योंकि मृतक या उसके परिवार की भूमि का उपभोग नहीं किया जा रहा था और न ही इसमें बाधा डाली जा रही थी।

40. इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक के परिवार का कुछ अवरोध और प्रतिरोध, जिसमें वह नए मंदिर और नए निर्माण के बारे में था, जो उस मंदिर के लिए भंडार कक्ष होना था।

41. इस प्रकार, किसी को मारने की कोई तैयारी भी नहीं थी

42. यह सब तब शुरू हुआ जब गॉव की सड़क पर मिट्टी खोदने पर आपत्ति थी।

43. एक और कारक है जो थोड़ा अजीब लगता है। यह घटना कई व्यक्तियों द्वारा देखी गई थी; जिनमें से दो का नाम मृतक ने स्वयं लिया है अर्थात साह और भोगी साह। यह कि उनसे पूछताछ नहीं की गई है, अभियोजन पक्ष की ओर से एक चूक हो सकती है, लेकिन कोई अन्य ग्रामीण गवाह-स्टैंड के पास यह बताने के लिए नहीं आया कि उस दिन क्या हुआ था, यह बहुत आश्चर्यजनक है।

44. यह थोड़ा अजीब लगता है कि मृतक के बयान के अनुसार, जब वह और उसके माता-पिता और भाई अपने घावों के इलाज के लिए बासोपट्टी पीएचसी जा रहे थे, तो तीन अपीलार्थियों ने उन्हें रोक दिया। जब ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया, तभी उन्हें पी. एच. सी., बासोपट्टी जाने दिया गया। यदि यह मामला था, तो ग्रामीणों के पास जांचकर्ता के सामने इन तथ्यों को बताने के लिए सभी कारण थे, जो मृतक की मृत्यु से पहले ही ग्राम का दौरा कर चुके थे या वे निचली अदालत में वास्तविक तथ्य बताने के लिए आए थे, जिसके कारण यह घटना हुई थी।

45. कि मृतक और उसके माता-पिता और उसका भाई बसोपट्टी पीएचसी के लिए आगे बढे थे, लेकिन अभियोजन पक्ष ने परिवहन के साधन के बारे में कोई विवरण नहीं दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक स्वयं गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था।

46. अगर वह पूरी तरह से घायल हो गया होता और स्थानांतरित करने की स्थिति में नहीं होने पर, अभियोजन पक्ष ने ऐसा कहा होगा, विशेष रूप से जब फर्दव्यान स्वयं मृतक द्वारा दर्ज किया गया था जब वह बासोपट्टी पीएचसी में जीवित था। पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी। जांचकर्ता ने केवल पीएचसी में अपना बयान दर्ज किया था। किसी को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इस तरह की चोटों से उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए, जांचकर्ता ने मृतक की सुरक्षा के लिए किसी को छोड़े बिना, घटनास्थल के लिए आगे बढ़े और मृतक के दावों को गलत पाया।

47. इस प्रकार, सभी से क्या एकत्र किया जा सकता है कि एक घटना हुई थी लेकिन किसी पूर्व-चिंतन या तैयारी के साथ नहीं बल्कि तत्कालिक थी। नए मंदिर के लिए भंडार कक्ष के लिए नींव के निर्माण के प्रयास ने शायद मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के गुस्से को जन्म दिया था। उन्होंने विरोध किया होगा जिसके कारण शायद दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हो गई थी। यदि मामला किसी की आस्था या संपत्ति से संबंधित है तो आम तौर

पर गुस्सा भड़क जाता है। जहाँ भंडारगृह का निर्माण किया जाना था, वह किसी की जमीन पर नहीं था। इससे भावनाओं को ठेस पहुंची थी।

48. अपीलार्थी/ कृष्ण झा की कहानी पिस्तौल से लैस होना और शिव नाथ झा द्वारा मृतक को मारने के लिए भाला का इस्तेमाल करना इस प्रकार पूरी तरह से अतिरंजित प्रतीत होता है।

49. वास्तव में क्या हुआ था, इसकी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए हमने बचाव पक्ष के गवाहों के बयान की भी जांच की है। राम खेलावन राय और कांति खतवे डी. डब्ल्यू. एस. के बयान को स्वीकार करना मुश्किल होगा। 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 319 में 1 और 2 और किशोरी साह और कपिलदेव साह प्रतिरक्षा साक्षी 1 और 2 2006 के सत्र विचारण सं. 429 में 1 और 2 ने कहा कि वे घटना के गवाह थे और यह नए मंदिर के पास एक भंडार-कक्ष के निर्माण पर विवाद के कारण हुआ था। वे मजदूर हैं, जिन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थियों के कहने पर गवाह-स्टैंड में लाया गया था।

50. हालाँकि, हम 2002 के सत्र परीक्षण संख्या 319 में डॉ. प्रेम कांत झा, डी. बचाव गवाह-3 के बयान को कुछ प्रासंगिक पाते हैं। वह मधुबानी में सत्यम पॉली चिकित्सालय चलाते है। उन्होंने शिव नाथ झा और शशि नाथ झा की जॉच की थी। शिव नाथ झा के शरीर पर, उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे एक उचित रूप से बड़े आयाम की चोट पाई थी, जिसके घाव से खून बह रहा था। अग्र-भुजा और दाहिने कंधे के जोड़ के पीछे एक दर्दनाक सूजन और घर्षण था। चोटें, निश्चित रूप से, सरल प्रकृति की पाई गईं। शशि नाथ झा के शरीर पर भी अलग-अलग स्थानों पर सूजन थी, जो बहुत दर्दनाक लग रही थी। उनकी चोटें भी सरल प्रकृति की थीं।

51. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा पर, बचाव ग. 3 ने कहा है कि पहली चोट यानी शशि नाथ झा पर की गई चोट जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह उनके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर थी। यदि ऐसा था और अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई

मामला था, तो हमारे लिए यह समझ से परे है कि मृतक या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था, भले ही इस मामले के दो आरोपी व्यक्ति घायल हो गए थे और उनकी चोटें खतरनाक नहीं थीं। क्योंकि इस मामले के अन्य घायल व्यक्तियों की चोटें समान थीं।

52. शिव नाथ झा और शशि नाथ झा ने मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला क्यों नहीं दर्ज किया?

53. यह पहेली यह उत्तर की ओर इशारा करता है।

54. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने सुझाव दिया है कि शायद तब तक किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि विक्रम झा को लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो जाएगी। सभी घायल व्यक्तियों को लगी चोट लगभग समान प्रकृति की थी।

55. यह एक गॉव का मामला था और एकमात्र कारण जो आरोपी व्यक्तियों को मृतक या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करने के लिए प्रेरित कर सकता था, वह विवाद को निपटाना होता। इसमें कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था। इस विवाद को बहुत अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता था। यह तभी हुआ जब मृतक ने खुद को बासोपट्टी अस्पताल में भर्ती कराया कि उनका बयान दर्ज किया गया था लेकिन इस आशंका के साथ नहीं कि मृतक की मृत्यु हो जाएगी। यदि कोई रक्त से क्षति होता जिससे मृतक की चोट किसी भी तरह से उसके जीवन के लिए खतरनाक होती, तो उसे तुरंत उच्च अस्पताल में भेजा जाता। जिस डॉक्टर ने पहले उसकी जाँच की, उसे कोई असामान्यता नहीं मिली।

56. स्थिति बिगड़ने के लिए कुछ हुआ होगा।

57. खून की हानि का कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी फैट एम्बोलिज्म का कोई अन्य प्रमाण नहीं है।

58. इस प्रकार, यह पूरी तरह से संयोग था कि मृतक की मृत्यु हो गई।

59. सम्पूर्ण परिस्थितियों में, हम पाते हैं कि भा.दं.सं की धारा 302/149 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि अनुचित है। कोई साझा उद्देश्य नहीं था और मृतक के अलावा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था।

60. अभियोजन पक्ष की ओर मृतक के अतिरिक्त धायल हुए और आरोपी व्यक्तियों के पक्ष के दो व्यक्ति। उन सभी की चोटों की प्रकृति समान है।

61. यह कहने के बाद, हम पाते हैं कि भाला द्वारा शिव नाथ झा द्वारा किया गया हमला घातक साबित हुआ। यह कि उन्होंने भाला के नुकीले हिस्से का उपयोग नहीं किया, उनके इरादे को दर्शाता है कि उन्हें वास्तव में कोई चोट नहीं लगी थी। चोट प्रकृति के सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। शुरुआत में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर, जब शव परीक्षण सर्जन ने खोपड़ी को विच्छेदित किया, तो उन्होंने पाया कि यह टूटी हुई थी और मस्तिष्कावरण मेनिन्जेस को क्षत-विषत हो गया था।

62. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि शिव नाथ झा द्वारा की गई चोट एक ऐसी चोट थी जो सामान्य रूप से मृत्यु का कारण बनी होगी, क्योंकि यह शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर थी। हालाँकि, अपीलार्थी/शिव नाथ झा के आरोप के बारे में सवाल जिसका जवाब दिया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या उनका इरादा ऐसी चोट पहुँचाने के लिए या यहाँ तक कि इस बात का ज्ञान भी था कि उसके द्वारा किए गए हमले से ऐसी चोट लगेगी जो प्रकृति के सामान्य नियम में मृत्यु का कारण बन सकती है।

63. हमें कोई नहीं मिलता।

64. ऐसा प्रतीत होता है कि इसका कोई इरादा नहीं है (निश्चित रूप से आसपास की परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है) या यह ज्ञान कि भाला की चोट तेज/नुकीले हिस्से से नहीं बल्कि एक कुंद हिस्से से होती है, जो मृतक की मां को भी केवल सिर पर त्वचा के सतही छिलने का कारण बनती है।

65. इस प्रकार शिव नाथ झा का मामला भा.द.सं. की धारा 304 के तहत भी नहीं आएगा।

66. अपीलार्थी/शिव नाथ झा के बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने भा.द.सं. की धारा 326 के तहत दंडनीय अपराध किया है।

67. अपीलार्थी/शशि नाथ झा और संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा वे व्यक्ति थे, जिन्होंने मृतक के अनुसार, उन्हें बासोपट्टी अस्पताल जाने से रोकने की कोशिश की थी। घटनास्थल पर में उनकी उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष की ओर से तीन व्यक्तियों के घायल होने से हमें विश्वास होता है कि मौके पर मौजूद व्यक्तियों ने झगड़े में भाग लिया था।

68. इस प्रकार, शशि नाथ झा और संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा भा.द.सं. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी होंगे।

69. बाकी अपीलार्थियों के संबंध में, अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इतना ठोस हो कि यह माना जा सके कि वे मौके पर मौजूद थे और उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था। भा.द.सं. की धारा 147 और 148 के तहत भी उनकी सजा हमें उचित नहीं लगती है।

70. समाप्त करने से पहले, हमें सूचना देने वाले और राज्य के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का उल्लेख करना चाहिए।

71. सूचक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग तियावरी ने सुझाव दिया है कि मुकदमे के समय गवाह-स्टैंड पर किसी भी स्वतंत्रता व्यक्ति की अनुपस्थिति केवल इसलिए थी क्योंकि आरोपी व्यक्ति गाँव के प्रभावशाली और मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्तियों का डर इतना अधिक था कि गाँव का कोई भी व्यक्ति मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लेने नहीं आया। अपीलार्थी/शांतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा, प्रासंगिक समय पर, गॉव के मुखिया थे, जिन्होंने मृतक के परिवार के सदस्यों के बहिष्कार का आह्वान किया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के किसी भी दृष्टिकोण में,

चाहे मृतक की मृत्यु की उम्मीद थी या नहीं, मृतक का फरदबेयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य था, जिसे इतने हल्के में अपेक्षित नहीं सकता है। उनके निवेदन के अनुसार, मृतक की मृत्यु घोषणा भा.द.सं.. की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए सभी अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी।

72. सूचक की ओर से हमें इस कारण से कोई भी आधार नहीं दिया गया है कि आरोपी व्यक्तियों के इलाके के मजबूत व्यक्ति होने के कारण, गवाहों के मन में भय पैदा करने वाले ऐसे सुझाव, किसी भी अभिलेख पर आधारित बयान नहीं हैं और मृतक के बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य सबूत के रूप में ध्यान में रखा गया था; लेकिन इस तरह के बयान की सावधानीपूर्वक जांच पर, हमने पाया है कि केवल अपीलकर्ता/शिव नाथ झा को भा.द.सं. की धारा 326 के तहत और अपीलकर्ता/शशि नाथ झा और संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा को भा.द.सं. की धारा 323 के तहत दोषी ठहराए जाने की आवश्यकता है।

73. आज की तारीख में सभी अपीलार्थी जमानत पर हैं।

74. अपीलार्थी/शिव नाथ झा सात साल और आठ महीने तक जेल में रहे हैं। भा.द.सं. की धारा 326 के तहत किए गए अपराध में, हम मानते हैं कि उसके द्वारा की गई हिरासत की अवधि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

75. इस प्रकार, अपीलार्थी/शिव नाथ झा के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 326 के तहत सजा को हिरासत की अवधि घोषित किया जाता है जिसमें वह अब तक गुजर चुका है।

76. अपीलार्थी/शशि नाथ झा और संतोष कुमार झा उर्फ शंकर झा को भी हिरासत की अवधि के लिए सजा सुनाई गई है जो वे भा.द.सं. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए अब तक भुगत चुके हैं।

77. बाकी अपीलार्थी सभी आरोपों से बरी हो जाते हैं। उन्हें उनके जमानत बांड के तहत उनकी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

78. सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

79. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजा जाता है।

80. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

81. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, को भी तदनुसार निपटाया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मनोज/कृष्ण/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।